



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब- साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086, 265645, 7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3) / नि.आ./ बीपीसी(एल.पी.) / का.वि./ 2021 / 1019

दिनांक:- 5/2/2021

—: कार्यवाही विवरण:-

विषय:- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 01 / 2021 वीं बैठक दिनांक 22.01.2021 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत् निर्णय लिये गये। उपरिथित सदस्यों का विवरण परिषिष्ट-“1” पर है।

एजेण्डा संख्या 1 :- (22.01.2021)

विषय :- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 08 / 2020 वीं बैठक दिनांक 16.12.2020 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :- समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या 2 :- (22.01.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 221/4/1 रकवा 12.13.00 बीघा में से 02.13.00 बीघा के होटल (पर्यटन ईकाई) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बावत।

आवेदक :- श्रीमती कैलाश भाटी पत्नी श्री महेन्द्र सिंह भाटी

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि औसियां-नागौर मुख्य सड़क पर स्थित है जिसका सड़क मार्गाधिकार 200 फीट रखा जावें। साथ ही जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया है कि प्रस्तुत मानचित्र में आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में दर्शित सड़क खातेदारी भूमि है, कोई राजस्व अथवा कटाण मार्ग नहीं है। अतः उक्त सड़क को हटाते हुए आवेदक से संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि जोन उपायुक्त द्वारा वसूल की जावें।
3. आवेदित भूमि के सभीप से विद्युत लाईन गुजर रही है जिसकी क्षमता व स्थिति के संबंध में जोन से रिपोर्ट ली जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.04.2018 अनुसार सुविधा क्षेत्र हेतु नियमानुसार राशि ली जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बद्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, बाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की रख्य की होगी। प्रार्थी से इस बावत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बावत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 3 :- (22.01.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम मण्डोर-प्रथम के खसरा संख्या 72/19, 72/43 रकबा 02.10.11 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।

आवेदक :- वरुण कोल्ड स्टोरेज एण्ड वेयर हाउस जरिये प्रोपराईटर हुक्मीचन्द पुत्र श्री मेघराज अरोडा, दिया एग्रो इण्डस्ट्रीज जरिये प्रोपराईटर उमाशंकर पुत्र श्री सम्पतलाल अरोडा

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 80 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावें। साथ ही आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय हैं। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें।
3. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि जोन उपायुक्त द्वारा वसूल की जावें।
4. आवेदित भूमि कॉर्नर भूखण्ड है, अतः नियमानुसार 25 फीट त्रिज्या की गोलाई रखी जावें।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हैं से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, बाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्हित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 4 :- (22.01.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम करवड के खसरा संख्या 417/7, 417/मीन1 रकबा 20.00.00 बीघा के शैक्षणिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।

आवेदक :- श्री भंवरलाल पुत्र श्री भीखाराम, श्रीमती चन्द्रा पत्नी श्री लिखमाराम, श्री भगवानराम पुत्र श्री भीखाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श समिति द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 31.01.2020 में लिए गए निर्णय के बिन्दु संख्या 1 में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र तथा राजस्व तहसीलदार द्वारा प्रेषित पत्र के कम में अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। शेष शर्ते पूर्वानुसार यथावत रहेगी।

एजेण्डा संख्या 5 :- (22.01.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम रांत कृपाराम नगर के खसरा संख्या 458/5, 458/19, 458/20 रकबा 27.06.00 बीघा के फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।

आवेदक :- श्री रतनलाल भील पुत्र श्री हरलाल भील, श्री जयराम भील पुत्र श्री हरलाल भील

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि में से गुजर रही एच.टी. व एल.टी. विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति के संबंध में जोन से रिपोर्ट ली जावे।
2. आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में 40 फीट समर्पणसुदा रास्ता है जिसकी चौड़ाई मौके पर 40 फीट है। अतः उक्त सड़क पर पूर्व में कोई भी कमिटमेंट नहीं किया गया है, की सूचना जोन उपायुक्त से प्राप्त की जावे।
3. आवेदित भूमि के दक्षिण-पूर्व दिशा में राजस्व रास्ता स्थित है जिसकी चौड़ाई मौके पर 40 फीट है तथा उक्त सड़क राजस्व ग्राम उम्मेद नगर व ग्राम भवाद को जोड़ती है। अतः उक्त सड़क का मार्गाधिकार भावी विकास के दृष्टिगत 100 फीट प्रस्तावित किया जाता है। चूंकि जोन द्वारा अवगत कराया गया है कि इस सड़क पर पूर्व में कोई भी कमिटमेंट नहीं किया गया है, अतः नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना के क्रम में आपत्ति आमत्रण की कार्यवाही हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं की पूर्ति/सुनिश्चितता उपरांत प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 6 :- (22.01.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम संत कृपाराम नगर के खसरा संख्या 458/3, 458/20 रकवा 12.00.00 वीघा के फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।

आवेदक :- श्री रतनलाल भील पुत्र श्री हरलाल भील, श्री जयराम भील पुत्र श्री हरलाल भील

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि में से गुजर रही एल.टी. विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति के संबंध में जोन से रिपोर्ट ली जावे।
2. आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में 40 फीट समर्पणसुदा रास्ता है जिसकी चौड़ाई मौके पर 40 फीट है। अतः उक्त सड़क पर पूर्व में कोई भी कमिटमेंट नहीं किया गया है, की सूचना जोन उपायुक्त से प्राप्त की जावे।

उपरोक्त बिन्दुओं की पूर्ति/सुनिश्चितता उपरांत प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 7 :- (22.01.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम माणकलाव के खसरा संख्या 126/7/2 रकवा 01.00.00 वीघा के पेट्रोल पम्प (वाणिज्यिक) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।

आवेदक :- श्री बाबूलाल टाक पुत्र श्री चुनीलाल टाक, श्री जेठाराम पुत्र श्री रामचन्द गहलोत

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श समिति द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 11.11.2020 में लिए गए निर्णय के बिन्दु संख्या 1 में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र तथा आई.ओ.सी.एल. द्वारा प्रेषित पत्र के क्रम में सार्वजनिक निर्माण विभाग से सड़क के मध्य बिन्दु से 30 मीटर ROW के पश्चात 10 मीटर जगह छोड़ने के उपरांत पेट्रोल पम्प के निर्माण के संबंध में पुनः अनापत्ति प्राप्त की जावे तथा 15 दिवस में सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनापत्ति प्राप्त नहीं होने पर अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 8 :— (22.01.2021) जोन-उत्तर

विषय :— राजस्व ग्राम उजलिया के खसरा संख्या 152 रकबा 09.18.00 बीघा के फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।
आवेदक :— श्री ओमाराम पुत्र श्री गोकलराम

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 60 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पटटा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तथा मानदण्ड लागू होंगे।
3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बंधित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानवित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 9 :— (22.01.2021) जोन-उत्तर

विषय :— राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 5/8, 5/9 रकबा 04.13.05 बीघा के फ्यूल स्टेशन (वाणिज्यिक) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।
आवेदक :— ए.जी.पी.सी.जी.डी. इण्डिया प्रा. लि. जरिये प्रतिनिधि श्री मनीष गोस्वामी पुत्र श्री रमेश गिरी गोस्वामी

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि जोधपुर-मथानिया मुख्य सड़क पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार जोधपुर मास्टर ड्वेलपमेंट प्लान-2031 (प्रारूप) अनुसार 200 फीट रखा जावें तथा तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20.04.2017 अनुसार फ्यूल स्टेशन के पीछे 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी रखी जावें। साथ ही आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में स्थित कटाण मार्ग का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हौंड से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बंधित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुगोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 10 :- (22.01.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम राम नगर तिंवरी के खसरा संख्या 442 रकवा 06.05.00 बीघा के कृषि आधारित वेयर हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।

आवेदक :- श्री आनन्द माहेश्वरी पुत्र श्री सत्यनारायण माहेश्वरी

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि जोधपुर-ओसियां राज्य राजमार्ग पर स्थित है जिसका सड़क मार्गाधिकार 200 फीट रखा जावें तथा तत्पश्चात् 100 फीट वृक्षारोपण पटटी रखी जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. प्रार्थी से कृषि आधारित वेयर हाउस हेतु जिला उद्योग केन्द्र/संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज प्राप्त किये जावें।
3. प्रकरण में मौके पर निर्माण स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावें।
4. प्रकरण में पूर्व में जारी 90/क आदेश में संशोधन की कार्यवाही जोन रत्तर पर की जावें।
5. आवेदित भूमि में से गुजर रही 11 केवी विद्युत लाईन के नीचे नियमानुसार सेफ्टी कोरिडोर छोड़ा जावें।
6. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हैं 0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशारानिक, बाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन रत्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुगोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 11 :- (22.01.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम खोखरिया के खसरा संख्या 91/1 रकवा 01.13.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान बाबत्।

आवेदक :- तीजादेवी, कमलादेवी, चुकली, धापू पुत्री श्री फौजाराम, रामप्रकाश, गुमनाराम पि० श्री पावुराम, इन्द्रा, सुमित्रा, आसमानी, अनिया पुत्री श्री पावुराम जरिये खास मुख्यार श्री रविन्द्र खीची

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 100 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।

2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, बाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समरत जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लघित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 12 :— (22.01.2021) जोन-उत्तर

विषय :— राजस्व ग्राम मण्डोर-प्रथम के खसरा संख्या 1749/1/3, 1749/9/2 रकबा 07.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान बाबत।

आवेदक :— श्री प्रदीप पुत्र स्व. श्री गौतमसिंह, श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री गौतमसिंह, श्रीमती विमलादेवी पत्नी स्व. श्री गौतमसिंह, पदमा पुत्र स्व. श्री गौतमसिंह, ललिता परिहार पुत्री स्व. श्री गौतमसिंह

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में निर्णय लिया गया:-

1. प्रकरण में रेलवे वाउडी से 100 फीट का प्रावधान करते हुए तथा टाउनशिप पॉलिसी 2010 अनुसार नियमानुसार संशोधन करवाते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावें।
2. आवेदित भूमि में वीएसएनएल के टॉवर के संबंध में जोन से स्थिति स्पष्ट करते हुए मानचित्र में अंकन किया जावें।

उपरोक्त बिन्दुओं की पूर्ति/सुनिश्चितता उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 13 :— (22.01.2021) जोन-उत्तर

विषय :— राजस्व ग्राम मण्डोर-द्वितीय के खसरा संख्या 656 रकबा 05.08.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान बाबत।

आवेदक :— श्री भागीरथ सौलकी पुत्र श्री ओमप्रकाश, श्रीमती ललिता पुत्री श्री पृथ्वीसिंह, श्रीमती मोनिका सौलकी पुत्री श्री रामसिंह सौलकी, श्री शशांक परिहार पुत्र श्री सुभाष सिंह, श्री ताराचन्द पुत्र श्री बरतीराम, श्री राधेश्याम पुत्र श्री हरनारायण

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 60 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. आवेदकों द्वारा जमावंदी से अधिक क्षेत्रफल का आवेदन किया है जिसके संबंध में प्रार्थी से भविष्य में कोई भी बाद-विवाद की जिम्मेदारी स्वयं आवेदकों की होगी, का शपथ-पत्र जोन रत्तर पर प्राप्त किया जावें। साथ ही अतिरिक्त भूमि के संबंध में जोन रत्तर से विज्ञप्ति जारी की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावें।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।

4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 14 :- (22.01.2021)

विषय :- मास्टर ड्वलपमेंट प्लान-2031 (प्रारूप) में नॉलेज एवं हेल्थ केयर सिटी में होटल तथा फार्म-हाउस अनुज्ञेय किये जाने के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श समिति द्वारा मास्टर ड्वलपमेंट प्लान-2031 (प्रारूप) की पुस्तिका में नॉलेज एवं हेल्थ केयर सिटी में होटल तथा फार्म-हाउस प्रयोजनार्थ भू-उपयोग का उल्लेख नहीं होने के कारण वर्तमान स्थिति में नॉलेज एवं हेल्थ केयर सिटी में होटल तथा फार्म हाउस अनुज्ञेय नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 15 :- (22.01.2021)

विषय :- मास्टर प्लान में आरक्षित आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग में कृषि आधारित गतिविधियाँ (कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित वेयर हाउस आदि) अनुज्ञेय किये जाने के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श समिति द्वारा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.09.2020 में उल्लेख अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग में कृषि आधारित गतिविधियाँ (कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित वेयर हाउस आदि) अनुज्ञेय किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 16 :- (22.01.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 30/18 रकवा 12.00.00 से रो 03.05.19 वीघा के आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।

आवेदक :- श्री भीयाराम पुत्र श्री छोटाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि जोधपुर-सालावास मुख्य सड़क पर स्थित है जिसका सड़क मार्गाधिकार 200 फीट रखा जावें। साथ ही आवेदित भूमि के उत्तर-पूर्व दिशा में प्ररुत्त मानचित्र अनुसार 40 फीट रखी जावें जिसके समर्पण हेतु नियमानुसार कार्यवाही जोन स्तर से की जावें। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. सुविधा क्षेत्र हेतु नियमानुसार 5 प्रतिशत भूमि छोड़ी जावें अथवा सुविधा क्षेत्र की एवज में नियमानुसार राशि जमा करवायी जावें।
3. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय

में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

एजेण्डा संख्या 17 :— (22.01.2021) जोन-दक्षिण

विषय :— राजरव ग्राम पाल के खसरा संख्या 178/12 रकबा 04.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले—आउट प्लान बाबत्।

आवेदक :— श्रीमती लीलादेवी पत्नी श्री मोहनलाल, श्री जितेन्द्र व श्री महेश पुत्र श्री मोहनलाल

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले—आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:—

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्राधिकरण द्वारा पूर्व में आस-पास 60 फीट सड़क मार्गाधिकार आरक्षित करते हुए मानचित्र अनुमोदित किये हैं, तदानुसार आवेदित भूमि के सामने 60 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले—आउट प्लान जारी किया जावे।
2. आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन गुजर रही है जिसकी क्षमता व स्थिति के संबंध में जोन से रिपोर्ट ली जावे एवं तदनुसार सेफटी कोरिडोर छोड़ा जावे।
3. प्रकरण में 90/क की सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावे।
4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज् में विक्यय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन रतर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 18 :— (22.01.2021) जोन-दक्षिण

विषय :— राजस्व ग्राम धिनाणा की ढाणी जोधपुर के खसरा संख्या 461/7, 461/8, 461/9, 461/10 रकबा 13.04.15 बीघा में से 02.02.00 बीघा के आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।

आवेदक :— श्रीमती मधु पारख पत्नी श्री अशोक, श्रीमती शान्तीदेवी पत्नी श्री जसवन्तराज पारख

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले—आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:—

1. आवेदित भूमि जैसलमेर—जयपुर वाईपास सड़क पर रिथित है जिसका मार्गाधिकार 200 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय अनुसार सड़क मार्गाधिकार के उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पटटी का प्रावधान किया जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले—आउट प्लान जारी किया जावे।

- आवेदित भूमि के दक्षिण-पूर्व दिशा में स्थित कटाण मार्ग का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावें।
- प्रकरण में मौके पर निर्माण की स्थिति एवम् विद्युत लाईन के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावें।
- सुविधा क्षेत्र हेतु नियमानुसार 5 प्रतिशत भूमि छोड़ी जावें अथवा सुविधा क्षेत्र की एवज में नियमानुसार राशि जमा करवायी जावें।
- प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
- उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजरख प्रशासनिक, बाद अवाप्ति, एव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

एजेण्डा संख्या 19 :— (22.01.2021) जोन—दक्षिण

विषय :— राजस्व ग्राम धिनाणा की ढाणी जोधपुर के खसरा संख्या 461/3, 461/4, 461/5, 461/6 रकवा 13.04.15 बीघा में से 10.16.06 बीघा के आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।

आवेदक :— श्रीमती मधु पारख पत्नी श्री अशोक, श्रीमती शान्तीदेवी पत्नी श्री जसवन्तराज पारख एवम् श्रीमती अंजना पारख पत्नी श्री प्रवीण

- निर्णय :—** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले—आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:—
- आवेदित भूमि जैसलमेर—जयपुर बाईपास सड़क पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार 200 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावें। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय अनुसार सड़क मार्गाधिकार के उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले—आउट प्लान जारी किया जावें।
 - प्रकरण में मौके पर निर्माण की स्थिति एवम् विद्युत लाईन के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावें।
 - सुविधा क्षेत्र हेतु नियमानुसार 5 प्रतिशत भूमि छोड़ी जावें अथवा सुविधा क्षेत्र की एवज में नियमानुसार राशि जमा करवायी जावें।
 - प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
 - उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजरख प्रशासनिक, बाद अवाप्ति, एव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

एजेण्डा संख्या 20 :— (22.01.2021) जोन—दक्षिण

विषय :— राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 191 (पूर्वी पश्चिमी पाल योजना) रकवा 1284.44 वर्गगज के आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।

आवेदक :— श्री सोमप्रकाश सिंहल व श्री अभिषेक काकरिया

- निर्णय :—** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले—आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:—

1. आवेदित भूमि जोधपुर से बालोतरा मुख्य सड़क पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 200 फीट रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. प्रकरण में मौके पर निर्माण की स्थिति एवम् विद्युत लाईन के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे।
3. सुविधा क्षेत्र हेतु नियमानुसार 5 प्रतिशत भूमि छोड़ी जावे अथवा सुविधा क्षेत्र की एवज में नियमानुसार राशि जमा करवायी जावे।
4. प्ररतावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
5. उक्त प्ररतावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लगियत है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

एजेण्डा संख्या 21 :- (22.01.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा संख्या 328/1 रकवा 07.10.00 बीघा के अनाथालय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।
आवेदक :- श्रीमती इलकीदेवी पत्नी श्री रूपाराम मेघवाल एवम् श्री रूपाराम मेघवाल पुत्र श्री पौलाराम मेघवाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि पाली रोड से व्यास डेन्टल कॉलेज की ओर जाने वाली नहर के सहारे-सहारे सड़क पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 100 फीट रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. प्रार्थी द्वारा जमावंदी से अधिक क्षेत्रफल का आवेदन प्रस्तुत किया है अतः प्रार्थी से जमावंदी अनुसार क्षेत्रफल का संशोधित मानचित्र प्राप्त कर खसरा सुपरइम्पोज करवाया जावे।
3. आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन गुजर रही है जिसकी क्षमता व स्थिति के संबंध में जोन से रिपोर्ट ली जावे एवं तदानुसार सेफ्टी कोरिडोर छोड़ा जावे।
4. आवेदक द्वारा अनाथालय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः भविष्य में प्रश्नगत भूमि का अनाथालय हेतु ही उपयोग किया जावेगा तथा भू-उपयोग परिवर्तन अनुज्ञेय नहीं होगा। उक्त के संबंध में प्रार्थी से जोन स्तर पर शपथ-पत्र प्राप्त किया जावे तथा उक्त का अंकन पट्टा विलेख में किया जावे।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.06.2017 अनुसार संस्थागत प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किये जाने पर पट्टे में यह शर्त अंकित की जावें कि भविष्य में उस क्षेत्र में यदि किसी सार्वजनिक उपयोग यथा पुलिस स्टेशन आदि स्थापित किये जाने के लिए भूमि की आवश्यकता होगी तो संबंधित संस्थान द्वारा 5 प्रतिशत सीमा तक निःशुल्क समर्पित की जावेगी।
6. प्ररतावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
7. उक्त प्ररतावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय

में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

एजेण्डा संख्या 22 :— (22.01.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा संख्या 328/1, 328/2 रकवा 06.04.00 वीधा के अनाथालय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।

आवेदक :- श्रीमती इलकीदेवी पत्नी श्री रूपाराम मेघवाल एवं श्री रूपाराम मेघवाल पुत्र श्री पोलाराम मेघवाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि पाली रोड से व्यास डेन्टल कॉलेज की ओर जाने वाली नहर के सहारे-सहारे सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 100 फीट रखा जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. आवेदक द्वारा अनाथालय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हेतु आवेदन प्ररतुत किया है। अतः भविष्य में प्रश्नगत भूमि का अनाथालय हेतु ही उपयोग किया जावेगा तथा भू-उपयोग परिवर्तन अनुज्ञय नहीं होगा। उक्त के संबंध में प्रार्थी रो जोन स्तर पर शपथ-पत्र प्राप्त किया जावें तथा उक्त का अंकन पट्टा विलेख में किया जावें।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.06.2017 अनुसार संस्थागत प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किये जाने पर पट्टे में यह शर्त अकित की जावें कि भविष्य में उस क्षेत्र में यदि किसी सार्वजनिक उपयोग यथा पुलिस रेस्टेशन आदि स्थापित किये जाने के लिए भूमि की आवश्यकता होगी तो संबंधित संरथान द्वारा 5 प्रतिशत रीमा तक निःशुल्क समर्पित की जावेगी।
4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की रखयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

एजेण्डा संख्या 23 :— (22.01.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1929/1770 रकवा 00.17.13 वीधा के आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।

आवेदक :- श्रीमती भावना गहलोत पत्नी श्री रामलाल गहलोत

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्राधिकरण द्वारा पूर्व में आस-पास 60 फीट सडक मार्गाधिकार आरक्षित करते हुए मानचित्र अनुमोदित किये हैं। तदानुसार आवेदित भूमि के सामने 60 फीट सडक मार्गाधिकार रखा जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. सुविधा क्षेत्र हेतु नियमानुसार 5 प्रतिशत भूमि छोड़ी जानी होगी अथवा सुविधा क्षेत्र की एवज में नियमानुसार राशि जमा करवायी जावें।

3. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समरत जिमेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्हित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

एजेण्डा संख्या 24 :— (22.01.2021) जोन—दक्षिण

विषय :— राजरव ग्राम जोधपुर—दक्षिण के खसरा संख्या 1929/1770 रकबा 00.17.13 बीघा के आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।

आवेदक :— श्री नकुल गहलोत नाबालिंग जरिये कुदरती वली पिता श्री रामलाल गहलोत

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार—विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले—आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:—

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्राधिकरण द्वारा पूर्व में आस—पास 60 फीट सड़क मार्गाधिकार आरक्षित करते हुए मानचित्र अनुमोदित किये हैं। तदानुसार आवेदित भूमि के सामने 60 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले—आउट प्लान जारी किया जावें।
2. सुविधा क्षेत्र हेतु नियमानुसार 5 प्रतिशत भूमि छोड़ी जानी होगी अथवा सुविधा क्षेत्र की एवज में नियमानुसार राशि जमा करवायी जावें।
3. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समरत जिमेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्हित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

एजेण्डा संख्या 25 :— (22.01.2021) जोन—दक्षिण

विषय :— राजरव ग्राम बासनी बाघेला के खसरा संख्या 70/6 कुल रकबा 02.07.00 में से 02.01.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।

आवेदक :— श्री ऋषभ शर्मा पुत्र श्री रमेशचन्द्र शर्मा बहैसियत आममुख्यार पप्पुलाल मीणा पुत्र श्री रामराजा मीणा

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार—विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले—आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:—

1. आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार सुशान्त लोक की अनुमोदित योजना अनुसार 120 फीट रखा जावें, जिसमें समर्पण संबंधी कार्यवाही जोन स्तर पर सुनिश्चित की जावें। आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में उपखण्ड अधिकारी द्वारा 30 फीट सड़क मार्गाधिकार रखते हुए आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख जारी किये गये हैं। अतः उक्त क्षेत्र में औद्योगिक विकास के दृष्टिगत दक्षिण दिशा में स्थित सड़क को 60 फीट किये जाने हेतु 30 फीट भूमि प्रार्थी की भूमि में से सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित की जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले—आउट प्लान जारी किया जावें।

- मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन रतर पर सुनिश्चितता की जावें।
- राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हौं से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
- उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, बाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की रखयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन रतर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
- प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रवलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 26 :— (22.01.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 158/7 रकवा 06.02.00 वीघा में से 02.02.00 वीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले—आउट प्लान बाबत्।
आवेदक :- श्री जगदीश पुत्र श्री चन्द्राराम मेघवाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले—आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:—

- जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्राधिकरण द्वारा पूर्व में आस-पास 60 फीट सड़क मार्गाधिकार आरक्षित करते हुए मानचित्र अनुमोदित किये हैं। तदानुसार आवेदित भूमि के सामने 60 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले—आउट प्लान जारी किया जावें।
- प्रकरण के संबंध में 90/क की कार्यवाही जोन रतर से सुनिश्चित की जावें।
- नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
- मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन रतर पर ली जावें।
- उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, बाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की रखयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन रतर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
- प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 27 :— (22.01.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 42/24 रकवा 03.00.05 वीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।
आवेदक :- श्री राजेश विश्नोई पुत्र श्री मोहनलाल विश्नोई

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले—आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:—

(८)

- जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्राधिकरण द्वारा पूर्व में आस-पास 100 फीट सड़क मार्गाधिकार आरक्षित करते हुए मानचित्र अनुमोदित किये हैं। तदानुसार आवेदित भूमि के सामने 100 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
- मार्टर प्लान की डीरीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुश्चेय हैं। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें।
- आवेदित भूमि पर मौके पर विना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विरहूत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त विना स्वीकृति किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि जोन उपायुक्त द्वारा वसूल की जावें।
- प्रार्थी द्वारा जमावदी से आशिक अधिक क्षेत्रफल का आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः जमावदी से अधिक क्षेत्रफल की जांच जोन रत्तर पर सुनिश्चित करते हुए अतिरिक्त क्षेत्रफल हेतु नियमानुसार राशि प्रार्थी से वसूल की जावें।
- राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हॉर्ट से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
- उक्त प्रतावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, बाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समरत जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लगिय है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
- प्रतावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 28 :– (22.01.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सागरिया के खसरा संख्या 318/1 रकबा 02.08.00 बीघा में से 01.18.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान बाबत।

आवेदक :- श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री गजेन्द्र सिंह एवम् श्री कंवलसिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- आवेदित भूमि को प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित योजना से 40 फीट मार्गाधिकार प्राप्त हो रहा है, जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
- आवेदित भूमि में से एचटी लाईन गुजर रही है जिसके नीचे नियमानुसार सेफ्टी कोरिडोर छाड़ा जावें।
- नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्य योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
- मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
- उक्त प्रतावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, बाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समरत जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत

शपथ—पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस वाक्यत जोनि स्तर पर शपथ—पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानविक्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेंडा संख्या 29 — (22.01.2021) जोन—दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम बोरानाडा के खसरा संख्या 283 रक्का 02.06.09 वीघा के सामान्य वेयर हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ वाचत।

आवेदक — श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री प्रेमाराम

निर्णय — समिति द्वारा एजेंडा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार—विमर्श सम्मिलित शर्तों के साथ ले—आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. आवेदित भूमि बोरानाडा—सालावास सड़क पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मार्स्टर प्लान अनुसार 160 फीट आवक्षित है। आवेदित भूमि को सड़क मार्गाधिकार में अकन कर नाले की रीमा से 60 फीट सड़क मार्गाधिकार स्था जावे। साथ ही आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में स्थित 80 फीट समर्पित सड़क की सुनिश्चितता की जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निशुल्क समर्पित करवायी जावे। एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले—आउट प्लान जारी किया जावे।
2. समिति द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के अनुसार द्वारा अनुज्ञाय किये जाने का निर्णय लिया गया।
3. प्रार्थी द्वारा जमावदी से आंशिक अधिक क्षेत्रफल का आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः जमावदी से अधिक क्षेत्रफल की जाय जोन रेतर पर सुनिश्चित करते हुए अतिरिक्त क्षेत्रफल हेतु नियमानुसार राशि प्रार्थी से वराते हुए अवधान किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि दी जावे अथवा 5 प्रतिशत सुधिक्षण की प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बद्ध अन्य राजस्व प्रशासनिक बाद अलादी एवं मालिकाना हक की समर्पत जिम्मेदारी प्रार्थी की रखय की होगी। प्रार्थी से इस वाक्य शपथ—पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस वाक्यत जोनि स्तर पर शपथ—पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानविक्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेंडा संख्या 30 — (22.01.2021) जोन—दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम बोरानाडा के खसरा संख्या 283/5 रक्का 02.04.15 वीघा के सामान्य वेयर हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ वाचत।

आवेदक — श्री प्रेमाराम पुत्र श्री बीजाराम

निर्णय — समिति द्वारा एजेंडा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार—विमर्श सम्मिलित शर्तों के साथ ले—आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में स्थित 80 फीट समर्पित सड़क की सुनिश्चितता की जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निशुल्क समर्पित करवायी जावे। एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले—आउट प्लान जारी किया जावे।

2. समिति द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के अनुसार प्रोटोकॉल नगर में सामान्य बैयर हाउस अनुज्ञेय किये जाने का निर्णय लिया गया।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
4. उक्त प्रत्यावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्हित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 31 :- (22.01.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालाबास के खसरा संख्या 252/17 रकमा 01.18.00 वीघा के ओद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।
आवेदक :- मैसरों द फर्मीज़र फैक्ट्री जरिये पार्टनर श्री जितन्द्र सौलकी पुत्र श्री श्यामलाल सौलकी, श्रीमती मणिका सिंह पत्नी श्री मनोहरसिंह

- निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विनर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया—
1. जोन वैकल्पिक अनुसार आवेदित भूमि को 132 केवी क्षमता की एचटी लाईन के नीचे से पहुंच मार्ग प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र/आदेश दिनांक 08.03.2017 के अनुसार 132 केवी क्षमता की एचटी लाईन के नीचे नियमानुसार 6.9 मीटर सेपटी कोरीडोर के उपरान्त पूर्व में हुए कमिटमेंट के परिषेक्ष्य में न्यूनतम 9 मीटर अर्थात् 30 फीट सड़क का प्रावधान किया जावे। साथ ही जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया है कि आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित कटाण मार्ग पर कोई कमिटमेंट नहीं है, अतः उक्त कटाण मार्ग का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्वरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
 2. मार्टर घास की ढारीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञय है। अतः इस संभव से आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अकल जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे।
 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्हित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 32 :- (22.01.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम खारडा भाष्टू के खसरा संख्या 13/2 रकमा 05.00.00 वीघा के कृषि आधारित उद्योग एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।
आवेदक :- श्रीमती भगवती सरगरा पत्नी श्री कालूराम सरगरा

निर्णय :- समिति द्वारा एजेंडा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर डबलपर्मेन्ट प्लान-2031 (ड्राफ्ट) में मिश्रित भू-उपयोग होने तथा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.09.2020 के अनुसार मिश्रित भू-उपयोग में कृषि आधारित उद्योग की अनुज्ञेयता के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेंडा संख्या 33 :- (22.01.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 104/24 रकवा 02.06.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।

आवेदक :- श्री जयंती भाई पाचन भाई पटेल पुत्र श्री पाचन भाई लाल पटेल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेंडा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रश्नगत खसरा संख्या 104 में सरकारी भूमि होने के कारण उक्त सम्पूर्ण खसरे का विस्तृत सर्व करवाये जाने हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया। तदानुसार कार्यवाही उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेंडा संख्या 34 :- (22.01.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 57/4 रकवा 04.00.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।

आवेदक :- श्रीमती कविता जांगीड पल्नी श्री नरेन्द्र

निर्णय :- समिति द्वारा एजेंडा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेन्ट अनुसार 100 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. मौके पर सड़क भाग में बाउण्ड्री वॉल निर्मित है। अतः पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व उक्त बाउण्ड्री वॉल को हटाये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें।
3. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि जोन उपायुक्त द्वारा वसूल की जावें।
4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हेंड से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की रवयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 35 :— (22.01.2021) जोन—दक्षिण

विषय :— राजरव ग्राम सालावास के खसरा संख्या 87/7 रकवा 01.02.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ वायत्।
आवेदक :— श्री श्यामसुन्दर पुत्र श्री जालाराम

- निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार—विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले—आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:—
1. आवेदित भूमि जोधपुर—सालावास मुख्य सड़क पर स्थित है जिसका सड़क मार्गाधिकार 200 फीट रखा जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क रामर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले—आउट प्लान जारी किया जावें।
 2. आवेदित भूमि पर मौके पर विना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त विना स्वीकृति किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि जोन उपायुक्त द्वारा वसूल की जावें।
 3. मार्टर डबलपर्मेन्ट प्लान—2031 (ड्राफ्ट) में आमंत्रित की गई आपत्ति—सुझाव प्रक्रिया के दौरान खरासा संख्या 87 पर दर्ज आपत्ति को सामान्य आपत्ति माना गया है।
 4. मार्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ—पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें।
 5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हौंड से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवासि, एवं मालिकाना हक की समरत जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ—पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लियित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ—पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 36 :— (22.01.2021) जोन—दक्षिण

विषय :— राजरव ग्राम सालावास के खसरा संख्या 252/10 रकवा 03.00.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ वायत्।
आवेदक :— श्रीमती कौशल्या मनिहार पत्नी श्री ओमप्रकाश मनिहार

- निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार—विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले—आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:—
1. जोन वैकलिरस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 132 के.वी क्षमता की एच.टी लाईन के नीचे रो पहुंच मार्ग प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र/आदेश दिनांक 08. 03.2017 के अनुसार 132 के.वी. क्षमता की एच.टी लाईन के नीचे नियमानुसार 6.9 मीटर सेपटी कोरीडोर के उपरान्त पूर्व में हुए कमिटमेंट के परिप्रेक्ष्य में न्यूनतम 9 मीटर अर्थात् 30 फीट सड़क का प्रावधान करने पर मौके पर निर्मित फैक्ट्री का कुछ भाग प्रभावित होगा। अतः उक्त के संबंध में आवेदक से सहमति—पत्र व शपथ—पत्र प्राप्त किया जावें तथा एच.टी लाईन के सेपटी कोरीडोर के उपरान्त 9 मीटर सड़क क्षेत्र में विद्यमान निर्माण को स्वयं के खर्च पर ध्वस्त किये जाने के उपरान्त पट्टा विलेख जारी किये जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के

- पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले—आउट प्लान जारी किया जावें।
2. आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में स्थित कटाण मार्ग का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावें।
 3. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि जोन उपायुक्त द्वारा वसूल की जावें।
 4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञाय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ—पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन रत्तर पर सुनिश्चितता की जावें।
 5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हैं से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बावत् शपथ—पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बावत् जोन रत्तर पर शपथ—पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 37 :— (22.01.2021) जोन—दक्षिण

विषय :— राजस्व ग्राम बासनी बाघेला के खसरा संख्या 74 रकवा 02.16.16 बीघा के आवारीय योजना प्रयोजनार्थ ले—आउट प्लान बाबत्।

आवेदक :— श्री बाबुलाल पुत्र श्री हिम्मताराम प्रजापति

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार—विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले—आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:—

1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेन्ट अनुसार 100 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले—आउट प्लान जारी किया जावें।
2. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि जोन उपायुक्त द्वारा वसूल की जावें।
3. प्रकरण के संबंध में 90 / क की कार्यवाही जोन रत्तर से सुनिश्चित की जावें।
4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज़ में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन रत्तर पर ली जावें।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बावत् शपथ—पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय

में कोई विवाद लिखित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 38 :- (22.01.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम धोराताड़ा के खसरा सख्या 69/69/1 69/2 रकवा 32.14.00 बीमा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ बाबत।

आवेदक :- श्री संजय सिंधवी पुत्र श्री पारसमल श्री महेन्द्र जैन पुत्र श्री जब्बरमल श्री दलपत डासा पुत्र श्री यूरम डागा व श्रीमती रेखा श्री महेन्द्र जैन श्री संजय मेहता पुत्र श्री लेखराज मेहता।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन वैकल्पिक अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग प्राधिकरण द्वारा खसरा सख्या 326/04 की अनुमोदित योजना में 40 फीट से एवम उक्त योजना व आवेदित भूमि के सख्य और अनुमोदित योजना के भूखण्ड सख्या 170, 171 एवं 172 के रास्ते हेतु रजिस्टर्ड समर्पणनामा से उपलब्ध हो रहा है, जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावे। साथ ही समर्पित भूखण्डों के आगे दरित 30 फीट रास्ते का भी समर्पण करवाया जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निशुल्क समर्पित करवायी जावे एव उक्त भूमि का नामांतरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. आवेदित भूमि के ऊपरी भाग में से मार्टर प्लान की प्रस्तावित 100 फीट सड़क गुजर रही है, जिसका अफन आयोजना शाखा द्वारा किया जावे।
3. मानविक्र में टाउनशिप पॉलिसी 2010 एवम मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रावधानानुसार नियमानुसार संशोधित कर जारी किया जावे।
4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्य की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जायेगा।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक बाद अवाप्ति, एव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लिखित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 39 :- (22.01.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा सख्या 1968/1059 रकवा 00.15.03 बीमा के ओद्धीग्रक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।

आवेदक :- श्रीगढ़ी कलावती देवी पत्नी श्री जुगलकिशोर

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के सामने समर्पणसुदा 60 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध है तथानुसार 60 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। साथ ही आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में खसरा सख्या 1059/740/7 से 1059/740/10 में लिए गए निर्णय अनुसार 40 सड़क रखी जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निशुल्क

- समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले—आउट प्लान जारी किया जावें।
2. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विरत्त भवन मानवित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अग्रियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि जोन उपायुक्त द्वारा वसूल की जावें।
 3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ—पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें।
 4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हैं से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजरव प्रशासनिक वाद अवाप्ति। एवं मालिकाना हक की समरत जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी रो इस बाबत शपथ—पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ—पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानवित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 40 :— (22.01.2021) जोन—दक्षिण

विषय :— राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1035/740/13, 1035/740/14 कुल रक्वा 01. 08.18 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।
आवेदक :— श्री पवन झांवर पुत्र श्री श्यामसुन्दर झांवर

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार—विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले—आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया—

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्राधिकरण द्वारा पूर्व में आस—पास 80 फीट सड़क मार्गाधिकार आरक्षित करते हुए मानवित्र अनुमोदित किये हैं, तदानुसार आवेदित भूमि के सामने 80 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क रामर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले—आउट प्लान जारी किया जावें।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ—पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें।
3. प्रकरण में मौके पर निर्माण स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हैं से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक वाद अवाप्ति। एवं मालिकाना हक की समरत जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी रो इस बाबत शपथ—पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ—पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानवित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

(8)

एजेंडा संख्या 41 : (22.01.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम तमायडा के खसरा संख्या 51/14 रक्वा 02.01.00 धीधा के औद्योगिक एकल

भूखण्ड प्रयोजनार्थी बाबत।

आवेदक :- श्री विकास दाण्डक पुत्र श्री अर्जुनदास

निर्णय :- समिति द्वारा एजेंडा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया—

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के दक्षिण-पश्चिम दिशा

में रामपालसुदा 60 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध है तदानुसार आवेदित भूमि के

दक्षिण-पश्चिम दिशा में 60 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। साथ ही आवेदित

भूमि के दक्षिण-पश्चिम दिशा में 60 फीट रास्ता उपलब्ध है जिसकी सुनिश्चितता की

जावे। सड़क मार्गाधिकार हैं तु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निशुल्क

समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामांतरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के

उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।

2. मार्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुमेय है। अत इस सबध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा

विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे।

3. मौके पर सड़क गांग में बाउण्ड्री वॉल निर्मित है। अत पट्टा विलेख जारी किये जाने

से पूर्व उक्त बाउण्ड्री वॉल को हटाये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर की जावे।

4. आवेदित भूमि कॉन्सि भूखण्ड है अत नियमानुसार 25 फीट त्रिज्या की गोलाई स्थिर

जावे।

5. राज्य सरकार द्वारा जारी परियन्त्र विनाक 30.05.2016 से 22.11.2016 अनुसार 2 है से

कम हैंत्रफल पर नियमानुसार राशि तो जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का

प्रावधान किया जावे।

6. उक्त प्रत्याधित भूमि से शावन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक वाद अवाप्ति एवं

गान्धिकार हक की समस्त जिमोदारी प्रार्थी की रखय की होगी। प्रार्थी से इस बाबत

शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय

में कोई विवाद स्थित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी

किया जावे।

7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार

जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानविक्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेंडा संख्या 42 : (22.01.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1035/740 (नया खसरा संख्या 1035/740/7) रक्वा 01.06.06 धीधा के आयासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थी बाबत।

आवेदक :- श्रीमती प्रियका पल्ली श्री कैलाशचन्द्र, श्रीमती किरण धारीवाल पल्ली श्री राकेश कुमार

निर्णय :- समिति द्वारा एजेंडा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया—

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्राधिकरण द्वारा पूर्व में आस-पास 60

फीट सड़क मार्गाधिकार आरक्षित करते हुए सानवित्र अनुमोदित किये हैं, तदानुसार आवेदित भूमि के समान 60 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हैं तु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं

उक्त भूमि का नामांतरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।

2. मार्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुमेय है। अत इस सबध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा

विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे।

3. प्रकरण में मौके पर निर्माण रिथति की रिपोर्ट प्राप्त की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हैं से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, बाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी रो इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन रत्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानवित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 43 :— (22.01.2021) जोन-दक्षिण

विषय :— राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 100/6, 100/7 रकवा 05.00.00 बीघा में से 02 18.00 बीघा के शैक्षणिक (TRAINING CENTER & INSTITUTE) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।

आवेदक :— श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री उदयराम

- निर्णय :—** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:—
1. आवेदित भूमि जोधपुर-सालावास मुख्य सडक पर रिथत है जिसका सडक मार्गाधिकार 200 फीट रखा जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
 2. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानवित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि जोन उपायुक्त द्वारा वसूल की जावें।
 3. आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन गुजर रही है जिसकी क्षमता व रिथति के संबंध में जोन से रिपोर्ट ली जावे एवं तदनुसार सेफटी कोरिडोर छोड़ा जावें।
 4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.06.2017 अनुसार संस्थागत प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किये जाने पर पट्टे में यह शर्त अंकित की जावें कि भविष्य में उस क्षेत्र में यदि किरी सार्वजनिक उपयोग यथा पुलिस रेटेशन आदि स्थापित किये जाने के लिए भूमि की आवश्यकता होगी तो संबंधित संरक्षण द्वारा 5 प्रतिशत सीमा तक निःशुल्क समर्पित की जावें।
 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, बाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी रो इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन रत्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानवित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 44 :— (22.01.2021) जोन-दक्षिण

विषय :— राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा संख्या 342 रकवा 01.03.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।

आवेदक :— मैसर्स जयश्री रियलकॉन प्रा.लि श्री मंगलेश गट्टानी वगैरहा

निर्णय :- समिति द्वारा एजेंडा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि जोधपुर-पाली मुख्य सड़क पर स्थित है जिसका सड़क मार्गाधिकार जोधपुर मार्टर प्लान अनुसार 200 फीट रखा जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. मार्टर प्लान की डीरीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुमेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें।
3. प्रकरण में मौके पर निर्माण स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, बाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समरत जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लियित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेंडा संख्या 45 :— (22.01.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम रालावास के खसरा संख्या 77/23 रकवा 01.14.02 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ वावत्।

आवेदक — श्रीमती मंजू मालवीय पत्नी श्री बद्रीनारायण मालवीय

निर्णय :- समिति द्वारा एजेंडा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिरट अनुसार आवेदित भूमि को 80 फीट तरभीमसुदा पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावें। साथ ही जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में 60 फीट समर्पणसुदा रास्ता उपलब्ध है, तदानुसार आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित मार्ग की चौड़ाई 60 फीट रखी जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि जोन उपायुक्त द्वारा वसूल की जावें।
3. आवेदित भूमि कॉर्नर भूखण्ड है अतः नियमानुसार 25 फीट त्रिज्या की गोलाई रखी जावें।
4. प्रार्थी द्वारा जमावंदी से अधिक क्षेत्रफल का आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः जमावंदी से अधिक क्षेत्रफल की जांच जोन स्तर पर सुनिश्चित करते हुए अतिरिक्त क्षेत्रफल हेतु नियमानुसार राशि प्रार्थी से वसूल की जावें।



5. मार्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस सवध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जाए।
6. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है। से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार संशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुधि क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक बाद अद्यापि, एवं मालिकाना हक की समरत जिम्मेदारी प्रार्थी की रवय की होगी। प्रार्थी से इस बायत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बायत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रबंधित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होगे।

एजेंडा संख्या 46 — (22.01.2021) जोन—दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालायास के खसरा संख्या 77/2 रक्षा 01,14.00 दीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।

आवेदक — श्री शशम वेद्य पुत्र श्री समश्चन्द्र वेद्य

- निर्णय :-** समिति द्वारा एजेंडा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले—आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया—
1. जोन चैकलिरेट अनुसार आवेदित भूमि को 80 फीट तरीमरुदा पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावे। साउक मार्गाधिकार हेतु आदेशयन भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निश्चल समर्पित करवारी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले—आउट प्लान जारी किया जावे।
 2. आवेदित भूमि पर गोके पर बिना स्पीकरि निर्माण किया गया है। गोके पर किये गये निर्माण के सवध में प्रार्थी से विरतत भवत गान्धित्र प्राप्त वर्त करिष्ठ अभियन्त्र द्वारा गोका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त विना रवीकरि किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार संशि जोन उपायुक्त द्वारा वसूल की जावे।
 3. प्रार्थी द्वारा जमाबदी से अधिक क्षेत्रफल का आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः जमाबदी से अधिक क्षेत्रफल की जावे जोन स्तर पर सुनिश्चित करते हुए अतिरिक्त क्षेत्रफल हेतु नियमानुसार राशि प्रार्थी से वसूल की जावे।
 4. मार्टर प्लान की डीसीआर अनुसार रापी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस सवध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे।
 5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है। से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुधि क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक बाद अद्यापि, एवं मालिकाना हक की समरत जिम्मेदारी प्रार्थी की रवय की होगी। प्रार्थी से इस बायत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बायत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रबंधित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होगे।

एजेण्डा संख्या 47 :— (22.01.2021) जोन-दक्षिण

विषय :— राजस्व ग्राम सालायास के खसरा संख्या 127/27 रक्षा 00.17.15 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।
आवेदक — श्री नारायणराम पटेल पुत्र श्री भोलराम

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले—आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया—

1. जोन घैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 80 फीट तरमीमसुदा पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले—आउट प्लान जारी किया जावे।
2. मार्स्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञाय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ—पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अकन्त जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्राप्तिकरण किया जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बंधित अन्य राजस्व प्रशासनिक वाद अवाप्ति एवं मालिकाना हुक की समरत जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ—पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लिखित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ—पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्य प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानवित्र अनुमोदित करवाने होगे।

एजेण्डा संख्या 48 :— (22.01.2021) जोन-दक्षिण

विषय :— राजस्व ग्राम लगावडा के खसरा संख्या 26/07 रक्षा 02.00.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।
आवेदक — श्री मोहम्मद सलीम पुत्र श्री नूर मोहम्मद

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले—आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया—

1. आवेदित भूमि जोधपुर-सालायास मुख्य सड़क पर स्थित है जिसका सड़क मार्गाधिकार 200 फीट रखा जावे। साथ ही जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में 60 फीट समर्पणसुदा सस्ता उपलब्ध है, तदानुसार आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में स्थित मार्ग की चौड़ाई 60 फीट रखी जावे। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले—आउट प्लान जारी किया जावे।
2. मार्स्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञाय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ—पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अकन्त जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्राप्तिकरण किया जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बंधित अन्य राजस्व प्रशासनिक वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हुक की समरत जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ—पत्र लिया जावे कि प्रश्नवात भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय

में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 49 :— (22.01.2021) जोन-दक्षिण

विषय :— राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 129/57 रकवा 00.14.18 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।

आवेदक :— श्री दीपक खत्री पुत्र श्री गोपाल खत्री

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:—

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को तरभीमसुदा 60 फीट पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय हैं। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हैं० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजरव प्रशासनिक, वाद अवासि, एवं मालिकाना हक की समरत जिम्मेदारी प्रार्थी की रवय की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और न ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 50 :— (22.01.2021) जोन-दक्षिण

विषय :— राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1573/1090 व 1574/1090 रकवा 01.16. 10 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।

आवेदक :— श्री विष्णुलाल पुत्र श्री श्यामलाल व श्री नरेश गोयल पुत्र श्री श्यामलाल

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:—

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्राधिकरण द्वारा पूर्व मे आरा-पास 60 फीट सड़क मार्गाधिकार आरक्षित करते हुए मानचित्र अनुमोदित किये हैं, तदानुसार आवेदित भूमि के सामने 60 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क रामर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विसर्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि जोन उपायुक्त द्वारा वसूल की जावें।

3. मार्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुशेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
5. उक्त प्रतावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, बाद अवासि, एवं मालिकाना हक की समरत जिमेदारी प्रार्थी की रवयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लग्भित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 51 :— (22.01.2021) जोन-दक्षिण

विषय :— राजरव ग्राम सालावास के खसरा संख्या 49/13 रकवा 01.00.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ के अनुमोदित ले-आउट प्लान में संशोधन बाबत्।
आवेदक :— श्रीमती नीलम पारख पत्नी श्री सुरेन्द्र पारख

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श समिति द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 03.10.2018 में लिए गए निर्णय के बिन्दु संख्या 4 में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं जोन से प्राप्त रिपोर्ट के कम में आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में दर्शित सडक खातेदारी भूमि है, कोई राजस्व अथवा कटाण मार्ग नहीं है। अतः उक्त सडक को हटाते हुए आवेदक से संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावें। शेष शर्ते पूर्वानुसार यथावत् रहेगी।

एजेण्डा संख्या 52 :— (22.01.2021) जोन-दक्षिण

विषय :— राजरव ग्राम सालावास के खसरा संख्या 129/12, 129/16 रकवा 01.03.12 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।
आवेदक :— मैरसर्स हरि ओम केमिकल्स जरिये प्रॉपराईटर श्री मुन्नाराम खुराडा

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जान वैकल्पिक अनुसार आवेदित भूमि को 80 फीट तरमीमसुदा पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. मार्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुशेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें।
3. आवेदित भूमि पर मौके पर दिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि जोन उपायुक्त द्वारा वसूल की जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।

- उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, बाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन रतर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
- प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 53 :— (22.01.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 25/51 रक्वा 00.15.00 वीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।

आवेदक :- श्री दुर्गादेवी पत्नी स्व. श्री रतनलाल, श्री नरेन्द्र पुत्र स्व. श्री रतनलाल, मनीषा, संगीता, माधुरी, सरोज पुत्रियां स्व. श्री रतनलाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:—

- जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्राधिकरण द्वारा पूर्व में आस-पास 60 फीट सड़क मार्गाधिकार आरक्षित करते हुए मानचित्र अनुमोदित किये हैं, तदानुसार आवेदित भूमि के सामने 60 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क रामपित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
- मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय हैं। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें।
- प्रकरण में मौके पर निर्माण स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावें।
- राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
- उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, बाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन रतर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
- प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 54 :— (22.01.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 247 रक्वा 06.01.00 वीघा के अनुमोदित ले-आउट प्लान में आरक्षित ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी.एस क्षेत्र के ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री अशोक कुमार गहलोत पुत्र श्री श्रीकिशन गहलोत

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श समिति द्वारा ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी.एस क्षेत्र के ले-आउट प्लान अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही उक्त भूखण्डों का बेचान राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. भूखण्ड हेतु पात्र व्यक्ति को ही किये जाने बाबत आवेदक को पाबंद किये जाने हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया।

एजेण्डा संख्या 55 :— (22.01.2021) जोन-दक्षिण

विषय :— राजरव ग्राम पाल के खसरा संख्या 79/41 रकवा 16.13.09 बीघा के अनुमोदित ले-आउट प्लान में संशोधन यावत्।
आवेदक :— श्रीमती नर्वदा चौहान पत्नी श्री किशोर चौहान

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श समिति द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान में आरक्षित व्यावयाधिक/ ईन्फॉर्मल क्षेत्र के स्थान पर आवासीय भूखण्ड किये जाने के आवेदक के प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 56 :— (22.01.2021) जोन-दक्षिण

विषय :— राजरव ग्राम कुड़ी भगतासनी, सांगरिया में प्राधिकरण की अनुमोदित विवेक विहार योजना के रोबटर 'जी' के लॉक भूखण्ड संख्या 143 से 174 का ले-आउट प्लान में संशोधन यावत्।

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श समिति द्वारा कनिष्ठ अभियंता व जोन द्वारा मौका स्थिति अनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 57 :— (22.01.2021) जोन-दक्षिण

विषय :— राजरव ग्राम गोगडा खुर्द पाली रोड के खसरा संख्या 142, 295 क्षेत्रफल 485390.88 वर्गमीटर में ट्रायपोर्ट नगर/ओटोगोबाईल नगर के पूर्व में अनुमोदित योजना मानचित्र में संशोधन यावत्।

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श समिति द्वारा आयोजना शाखा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही उक्त प्रस्ताव का मौका स्थिति अनुसार मिलान किये जाने हेतु व खसरा सुपरइम्पोजिशन की कार्यवाही हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया।

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(D.P.)
उप नगर नियोजक (उत्तर/दक्षिण)
एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2021/ 1020-24

दिनांक: 5/2/2021

प्रतिलिपि :— निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


- वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
- निजी साविव, साविव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
- निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
- उपायुक्त (पूर्व/परिचम/उत्तर/दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
- एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

(D.P.)
उप नगर नियोजक (उत्तर/दक्षिण)
एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

परिशिष्ट-“1”

भवन मानविक समिति (ले-आउट प्लान) की 01/2021 वी वैठक दिनांक 22.01.2021 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, वैठक में उपरिथित निम्नवत थी:-

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1. | श्री कमर चौधरी, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. | श्री हरभान मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदरस्य |
| 3. | श्री लाडूराम विश्नोई, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदरस्य |
| 4. | श्रीमती कंचन राठौड़, उपायुक्त (उत्तर), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदरस्य |
| 5. | श्री राजेन्द्र रिंग वांदावत, उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदरस्य |
| 6. | श्री राजेश वर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदरस्य |
| 7. | श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक (उत्तर / दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर | सदरस्य सचिव |


उप नगर नियोजक (उत्तर / दक्षिण)

एवं सदरस्य सचिव
भवन मानविक अनुमोदन समिति (एल पी)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर